न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 02/2021

उनवान

1. बिहारीलाल पुत्र शंकर लाल जाति ब्राह्मण निवासी करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
   1/1. मनोज कुमार शर्मा पुत्र बिहारीलाल
   1/2. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र बिहारीलाल
   1/3. सरोज देवी पुत्री बिहारीलाल
   1/4. सावित्री देवी पत्नी स्व0 मोहनलाल
   1/5. केशव शर्मा पुत्र स्व0 मोहनलाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सावित्री देवी।
   1/6. सोनू शर्मा पुत्री स्व0 मोहनलाल
   1/7. खुशी शर्मा पुत्री स्व0 मोहनलाल
   1/8. निकिता शर्मा स्व0 मोहनलाल नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सावित्री देवी पत्नी स्व0 मोहनलाल

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्याम देवी पत्नी स्व0 हरिनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 70 वर्ष निवासी मकान नं0 23 गायत्री नगर जोधपुर पाल रोड जोधपुर
2. मुकेश पुत्र स्व0 हरिनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 45 वर्ष निवासी मकान नं0 23 गायत्री नगर जोधपुर पाल रोड जोधपुर
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 हरिनारायण जाति ब्राह्मण उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं0 23 गायत्री नगर जोधपुर पाल रोड जोधपुर
4. लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 मदनलाल जाति ब्राह्मण उम्र 66 वर्ष निवासी मारवाडी सिनेमा के पास मु. पो. बडबिल जिला केन्झार राज्य उडीसा।
5. ग्राम पंचायत करीरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा

अप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 424 दिनांक 21.04.1979 को अपास्त व निरस्त किये जाने बाबत्

निर्णय दिनांकः 4/4/23

1. प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में ख0 न0 1146/0.45 , 1225/1.22, 1228/0.05, 1229/0.05, 1231/0.02, कुल किता 5 रकबा 1.79 है0 भूमि है जिस आराजी के साबिक नंबर 1290, 1291, 1299, 1302 कुल रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर रहे है जो आराजी अपीलार्थी की पैतृक भूमि रही है। अपीलार्थी का सजरा निम्नानुसार है–

जवाहर लाल पुत्र नवल किशोर शर्मा

गंगा देवी पत्नी जवाहर लाल

स्व0 साधूराम	स्व0 शंकर लाल	स्व0 रामनिवास	स्व0 जमना लाल
स्व. सरस्वती पत्नी साधूराम	स्व. पार्वती देवी	स्व. गैन्दी देवी	स्व0 गुलाब पत्नी जमनालाल
स्व0 नन्दलाल (अविवाहित)	बिहारी (अपीलार्थी)	पत्नी रामनिवास	

स्व. हरिनारायण — स्व. मदन

श्यामा देवी पत्नी हरिनारायण — मुकेश — ओमप्रकाश

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

2. यह है कि उक्त सजरा खानदान से स्पष्ट है कि अपीलार्थी शंकर लाल का एक मात्र वारिस है शंकर लाल के हक हिस्से में हरिनारायण या जमनालाल का कोई लेनदेन सरोकार नहीं है। जबकि प्रकरण के विवदित नामान्तरण में शंकर लाल की मृत्यु हेने पर फोती का नामांकरण गलत रूप से भरा गया है जिसे दुरूस्त कराने के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरण पंचायत करीरी द्वारा भरा गया है। जो अपीलाधीन नामान्तरण अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारो पर निरस्त किये जाने योग्य है–

1. यह कि आक्षेपित अपीलाधीन नामान्तरण विधि एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह है कि उक्त नामान्तरण संबंधित विधिक प्रावधनों व नियमो के विपरीत भरा गया है क्योंकि जब शंकर लाल मरा तो उनकी मृत्यु के संबंध में कोई वारिस प्रमाण पत्र या सजरा खानदान का दस्तावेज लिये बिना मनमाने अविधिक रूप से नामान्तरण भर दिया गया। फौत हुए शंकरलाल के वारिसान की कोई सही जांच पडताल नहीं की गई। केवल कागजी रूप से वारिसान दर्शित करते हुए अपीलाधीन नामान्तरण खोल दिया गया जिस नामान्तरण को प्रथम दृष्टया देखने से ही अवैध प्रतीत होता है उक्त नामान्तरण में एक फर्जी व गलत सजरा हाथ से उल्लेखित है जिसमें शंकर लाल के वारिस के रूप में रामनिवास व जमनालाल को बतौर भाई व फौत दर्शित किया हुआ है। रामनिवास के पुत्र के रूप में हरिनारायण, बिहारीलाल एवं मदनलाल को वारिस के रूप में दर्शित किया गया है तथा जमानालाल के वारिस के रूप में मदनलाल व हरि प्रसाद उललेखित है जबकि वास्तवित स्थिति के अनुसार हरिप्रसाद नामक कोई व्यक्ति नहीं रहा है। केवल जमनाला का हिस्सा दर्शित करते हुए शंकर लाल की जमीन हडपने के लिए गलत रूप से अंकन किया गया है।

3. यह है कि अपीलार्थी के जितने भी सरकारी व प्राईवेट दस्तावेजात है, जिनमें बिहारीलाल पुत्र शंकरलाल अंकित है क्योकि बिहारी लाल शंकर लाल का एक मात्र वारिस रहा है। बिहारी लाल के द्वारा ही शंकरलाल सेवा पूजा देख–रेख की गई है शंकरलाल की मृत्यु के पगडी दस्तूर अपीलार्थी बिहारीलाल के ही हुई है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं के कई दस्तावेजात अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत किये गये है उनसे स्पष्ट है कि बिहारीलाल ही शंकरलाल का एक मात्र वारिस है। उक्त तथ्यों के मध्यनजर आक्षेपित नामानतरण गलत एवं अविधिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह है कि उक्त नामान्तरण भरे जाने से पूर्व संबंधित पटवारी ग्राम पंचायत या अन्य किसी अधिकारी ने कोई जांच पडताल नहीं की सरपंच द्वारा मनमाने गलत रूप से वारिसान मानते हुए भरकार प्रस्तुत हुए नामन्तरण को स्वीकृत कर दिया जबकि उक्त नामान्तरण में जो वारिसान दर्शित करते हुए तालिका अंकित की गई थी वह गलत थी और वारिसों की वास्तविक स्थिति के मध्यनजर उक्त नामान्तरण के समय दर्शित वारिसान तालिका गलत होने से उसके आधार पर भरा गया नामानतरण भी गलत एवं अविधिक हो जाता है इस प्रकार उक्त नामानतरण प्रारम्भत ही अवैध व शून्य है। शंकरलाल की मृत्यु पर उनका पुत्र बिहारी लाल ही गांव में विवादित भूमि के मौके पर काबिज काश्त था अन्य किसी रिश्तेदार या वारिस का कब्जा काश्त नहीं था क्योंकि रामनिवास जमनालाल, शंकरलाल की मृत्यु के समय फौत हो चुके थे रामनिवास, जमनालाल सन 1947 से पूर्व ही कमाने खाने के लिए गांव छोडकर गांव से बाहर अन्य प्रदेशो में चले गये थे और इस कारण उनके पुत्र जन्म से हरिनारायण, मदनलाल भी राजस्थान से बाहर अन्य प्रदेशों में निवास करते थे उक्त रामनिवास जमनालाल व इनके वारिस हरिनारायण मदनलाल ने ही उक्त भूमि को काश्त नहीं किया गया है उक्त रामनिवास जमनालाल की रूचि कृषि कार्य में नहीं थी। बल्कि अन्य प्रदेश में जाकर व्यवसाय करने की थी और उक्त दोनो गांव में जो भी हक हिस्सा था बिहारीलाल को बता गये थे उक्त दोनो अपीलार्थी बिहारीलाल को शंकरलाल का वारिस मानते व जानते थे और यह भी भलीभांति मानते थे शंकर लाल की भूमि को बिहारीलाल ही काश्त करता है एवं बतौर वारिश देखरेख करता रहा है प्रकरण की विवादित भूमि को संवत 2012 के समय के पूर्व से ही शंकरलाल ही काश्त देख रेख करता था इसलिए शंकरलाल का ही एक मात्र हक अधिकारी माना व पाया गया इसलिए प्रकरण की विवादित भूमि को सम्वत 2012 के समय राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई अन्य किसी व्यक्ति वारिस के द्वारा गांव की कृषि भूमि की देखरेख नहीं की जाती व अपीलार्थी बिहारी लाल शंकरलाल के साथ ही मौके पर काबिज काश्त रहा है जिन तथ्यों की जानकारी गांव वालो को भी रही है किनतु जब उक्त विवादित नामन्तरण भरा गया उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर दिया गया मौके पर कोई जांच पडताल नहीं की गई केवल कागजी तौर पर खानापूर्ति करते हुए नामान्तरण भरा गया और स्वीकृत किया गया। उक्त तथ्यों के मध्यनजर आक्षेपित नामान्तरण गलत एवं अविधिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह है कि उक्त नामान्तरण भरे जाने के पश्चात जब अपीलार्थी ने हरिनारायण एवं मदनलाल के वारिस विपक्षी 1 से 3 को नामानतरण को दुरूस्त कराने के लिए कहा गया क मौके पर अपीलार्थी ही काबिज काश्त है हम तो जयपुर से बाहर निवास करते है हमे उक्त कृषि भूमि से कोई लेनदेन सरोकार नहीं है जब

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कभी फुरस्त से जयपुर आयेगे तो नामान्तरण दुरूस्त करा दिया जायेगा अपीलार्थी उक्त हरिनारायण एवं मदनलाल के कथनो पर विश्वास करते हुए सदभाविक रहा है कि उक्त दोनों द्वारा रिकार्ड दुरूस्त करा दिया जायेगा क्योकि उक्त दोनों ने कभी भी मौके पर भूमि के संबंध में मांग या क्लेम नहीं किया गया था। कुछ वर्षो से जमीनों की कीमत में काफी वृद्धि हो गई है एवं भूमि कीमती हो गई है जिससे हरिनारायण एवं मदनलाल के वारिसों की नियत में फितुर आ गया है और उक्त व्यक्ति गलत रिकार्ड व नाम इन्द्राज होने के आधार पर विवादित भूमि में हक हिस्सा क्लेम करते हुए मांग करने लगे है जिन परिस्थिति के मध्यनजर अपीलार्थी की ओर से उक्त रिकार्ड को दुरूस्त कराने व प्रश्नगत नामान्तरण को निरस्त कराने की आवश्यकता व वाद कारण उत्पन्न हुआ है इसीलिए उक्त अपील प्रसतुत की गई है।

6. यह है कि यह तथ्य प्रसांगिक है कि मदन लाल उडिसा में निवास करता रहा है और वहीं पर उसकी मृत्यु सन 2012 के लगभग हुई है उसके कोई संतान नहीं रही है मदन लाल के शैक्षणिक दस्तावेजो का दुरूपयोग करते हुए हरिनारायण ने मदनलाल बनकर रेलवे में सरकारी नौकरी की गई है और सरकारी राशि का गबन व दुरूपयोग किया है जब हरिनारायण मदनलाल के रूप में सेवानिृत्त हुआ । हरिनारायण की मृत्यु सन 2002 में हुई है उसके कई वर्षो पश्चात भी उसके पुत्र मुकेश ओमप्रकाश और पत्नि श्यामा ने विवादीत भूमि का कभी कोई क्लेम नहीं किया गया किनतु सन 2012 में हरिनारायण का फौती का नामान्तरण गलत रूप से उसके पुत्र मुकेश ओमप्रकाश और श्यामा के नियत में बेईमानी व फितूर आ गया है विवादीत भूमि को हडपने पर आमदा है। फिर भी मुकेश ओमप्रकाश और श्यामा द्वारा बेईमानी कृत्य के मध्यनजर अपीलार्थी की जमीन को भी हडपने के लिए बेईमानी छलकपट किया जाने लगा है और मौके पर कब्जा करने की नापाक कोशिश कर रहे है। जिन परिस्थिति के मध्यनजर अपीलार्थी के द्वारा राजस्व वाद कार्यवाही की हुई है किनतु परिचित अधिवक्ता से राय मशुरा किये जाने पर परिचित अधिवक्ता ने प्रश्नगत नामानतरण को निरस्त कराने की कानूनी रूप से आवश्यकता बताई एवं विपक्षीगण द्वारा विवादित भूमि को बेचान खुर्दबुर्द किये जाने पर आमदा होने जिन वर्तमान परिस्थतियों के मध्य नजर सही एवं विधिक कार्यवाही की जाने के लिए अपील प्रस्तुत की गई। जिन परिस्थिति के मध्यनजर अपीलार्थी की ओर से उक्त रिकार्ड को दुरूस्त कराने व प्रश्नगत नामान्तरण को निरस्त कराने की आवश्यकता व वाद कारण उत्पन्न हुआ है। इसीलिएर उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

7. अन्त में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरण संख्या 424 व नामान्तकरण आदेश दिनांक 21.04.1979 को अपास्त व निरस्त किये जाने के संबंध जो न्यायोचित हो आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

अपील पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्ट्रर होने पर गैर अपीलान्ट की तलबी की गई गैर अपीलान्ट की जरीये रजिस्ट्रड डाक से तामील के वाबजूद उपस्थित नहीं हुये। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने अपील में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये जाहिर किया कि शंकरलाल का एक मात्र अपीलार्थी ही वारिस है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो दिनांक 21.04.1979 को जो नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, बिना विधिक वारिसानो की जांच के किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। पत्रावली में पेश शैक्षणिक दस्तावेजात राशन कार्ड व नौकरी से संबंधित दस्तावेजात में बिहारीलाल के पिता का नाम शंकरलाल दर्ज है। इस प्रकार पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया की खातेदार शंकरलाल का बिहारी जाईन्दा पुत्र है तथा नामान्तकरण सं0 424 के निर्णय के समय खातेदार शंकरलाल पुत्र जवाहर के विधिक वारिसान की जांच ग्राम पंचायत करीरी द्वारा नहीं की गयी है तथा बिहारीलाल को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। वकील अपीलान्ट की बहस तथा पत्रावली में पेश दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण निरस्त/अपास्त किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत करीरी के द्वारा पारित नामान्तकरण सं0 424 निर्णित दिनांक 21.04.1979 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार शंकरलाल पुत्र जवाहर लाल के विधिक वारिसान की विधिवत जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 4/7/23 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर